न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 105/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/186

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से जारी नोटिस कमांक/कोर्ट/सू.का.अ./अपील/2022 दिनांक 4413 दिनांक 23.6.2022 ओर नोटिस कमांक 4465,4469,4471,4473 दिनांक 5.7.2022 मे अंकित बिन्दुओं के अनुसार नियत दिनांक 20.7.22 एवं 29.7.2022 से पूर्व अपीलान्ट के जिला रसद अधिकारी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक नकल नही भिजवायी गयी है। इस विषय मे जिला कलेक्टर द्वारा जिला रसद अधिकारी के खिलाफ जो एक तरफा कार्यवाही कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है उससे संबंधित सम्पूर्ण समस्त दस्तावेजो की सूचना अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा मे आवेदक को प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.2(92)सूकाअ/2022/1046 दिनांक 19.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग के पत्रांक 4755 दिनांक 23.8.2022 से प्रथम अपील संख्या 56/2022 से 75/2022 तक मे पारित निर्णयों की प्रमाणित प्रतियॉ नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने बाबत लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 01.08.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट को नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग द्वारा नियत समयावधि मे लिखा [illegible] द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपल[illegible] करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट नियमानुसार शुल्क जमा कर[illegible] प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का नि[illegible] फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमी[illegible] की जावे। आदेश [illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:36:17 IST
Reason: SelfAttested